उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-92/2017/554/92-2-17-108जॉच/2014
लखनऊ:: दिनांक:: 16 जून,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्राम-कोलाना, विकास खण्ड-नोजिल, विधानसभा क्षेत्र-माठ, जनपद मथुरा में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण निम्न गुणवत्ता व मानक के अनुरूप नही कराये जाने तथा शिथिल निरीक्षण एवं लापरवाही के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-53मं0आ0/92-14-107जांच/2014 दिनांक 16-12-2014 द्वारा श्री संजय अग्रवाल, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा को निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियामवली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता, (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2015/558/92-1-15-108 जांच/2014 दिनांक 12-02-2015 द्वारा श्री संजय अग्रवाल, अधिशासी अभिंयता का निलम्बन समाप्त करते हुये उन्हें सेवा में इस शर्त/प्रतिबंध के साथ बहाल किया गया कि उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2014 द्वारा संस्थित अनुशासिनक कार्यवाही यथावत चलती रहेगी।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-2261/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/प0सं0-318/14-15 दिनांक 22-07-2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या सतही पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1077/92-2-15-108जांच/2014 दिनांक 23-09-2015 द्वारा प्रकरण में जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

3- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता,(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-888/ग्रा0अ0वि0/अनु0जां0-मथुरा/2015-16 दिनांक 27-01-2016 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में कतिपय आरोप सिद्व पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-216/92-2-15-108जांच/2014 दिनांक 17-03-2016 द्वारा अपचारी अधिकारी से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 18-04-2016 द्वारा उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन पर शासन के पत्र दिनांक 05-07-2016 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता से अभिमत मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 31-03-2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपो के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन, निदेशक एवं मुख्य अभियंता द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया है कि श्री संजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता मार्ग निर्माण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यो में बूमिंग का कार्य मानक के अनुरूप न कराने तथा अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। अतः श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा सम्प्रति प्रखण्ड-फिरोजाबाद द्वारा की गयी उक्त अनियमितता के लिये उन्हें निम्नवत **विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि** देते हुये उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"निदेशालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार मार्ग निर्माण कार्यो में बूमिंग का कार्य मानक के अनुरूप न कराने तथा अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण हेतु उत्तरदायी पाये जाने पर श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा सम्प्रति प्रखण्ड-फिरोजाबाद को वर्ष 2016-17 के लिये विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-92/2017/554/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा सम्प्रति प्रखण्ड-फिरोजाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- जांच अधिकारी/विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।